संख्या– 95 /VI-2/2011–2(4)2009

प्रेषक,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 21 जनवरी, 2011

विषयः– गणतन्त्र दिवस–2010 की पूर्व सन्ध्या के अवसर पर कवि सम्मेलन/मुशायरा आयोजन हेतु धनावंटन एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2428/सं0नि0उ0/दो–3/2010–11 दिनांक 19 जनवरी, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शासनादेश संख्या– 851/VI-2/2010–71(7)/2010 दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 के कम में 42– अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि ₹ 150.00 लाख (एक करोड़ पंचास लाख) में से कवियों/शायरों/सांस्कृतिक दलों के मानदेय/यात्रा व्यय/भोजन/आवास/निमन्त्रण पत्र/ध्वनि एवं प्रकाश/बैकड्राप/शॉल आदि अन्य प्रकीर्ण व्ययों हेतु प्रस्तुत व्यय अनुमान ₹ 12,67,736.00 (₹ बारह लाख सड़सठ हजार सात सौ छत्तीस) मात्र की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा इस स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष ₹ 5.00 लाख (₹ पांच लाख) मात्र के अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–4 के नियम 249 के अन्तर्गत छूट प्रदान करते हुए व्यय करने की निम्नांकित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– व्यय करने से पूर्व यथास्थिति सुसंगत वित्तीय नियमों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर ली जाय।

3– उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा न्यूनतम लागत आधार पर वास्तविक व्यय उपरान्त शेष धनराशि समर्पित की जाय।

4– जिन प्रकरणों में बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है वहॉ ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5– उक्त आयोजन में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि का नियमानुसार इसी वित्तीय वर्ष में समायोजन कर लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा आयोजनोपरान्त वास्तविक व्यय के आधार पर मदवार व्यय विवरण देते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

7– इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Budget 10-11

8– उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से यदि कोई धनराशि प्राप्त होती है तो उस सीमा तक धनराशि समर्पित कर दी जाय।

9– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष से वाहन किया जायेगा।

10– उपरोक्त निर्देश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–900(पी)/XXXVII(3)/2009 दिनांक 21 जनवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 95 /VI-2/2011–2(4)2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

2/01/09